



Affiliated to BCCI

bca@biharcricquetassociation.com

दिनांक : 28 अगस्त 2022
स्थान : द गोल्डन सनराइज, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना
समय : 12:30 बजे से
उपस्थिति : रजिस्टर के अनुसार

अध्यक्षता

माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने वार्षिक आम सभा की बैठक की अध्यक्षता की।

कोरम

यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि बैठक के लिए अपेक्षित सदस्यगण इस वार्षिक आम सभा में उपस्थित है, बैठक/सदन की शुरुआत किया गया।

उपस्थित सभी सदस्यों की अनुमति से, वार्षिक आम सभा बुलाने की सूचना जो पूर्व में सभी सदस्यों को दिया गया था, पुनः आज के चर्चा के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया।

सभा का संचालन

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने उपस्थित सदस्यों / अतिथियों के स्वागत से करते हुए बिहार की वर्तमान स्थिति से सबों को अवगत कराया। माननीय अध्यक्ष ने सदन को बताया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संशोधित संविधान का आलेखन का कार्य पूरा हो चुका है।

इसके बाद आम सभा में वर्णित एजेंडों पर चर्चा प्रारम्भ हुआ:

एजेंडा संख्या : A

निर्णय : पूर्व के सभी आमसभा / विशेष आमसभा/ वार्षिक आमसभा एवं कमिटी ऑफ़ मैनेजमेंट में लिए गए निर्णयों को पढ़ कर सदन को सुनाया गया, जिसे सदन द्वारा ध्वनिमत से संपुष्टि प्रदान की गई।

एजेंडा संख्या : B

निर्णय : सचिव के स्तर से प्रस्तुत रिपोर्ट को चर्चा के बाद पारित किया गया।

एजेंडा संख्या : C & D

निर्णय : कोषाध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 लेखा परीक्षित खातों (Audited Books of Accounts) को सदन के पटल पर रखा।
लेखा परीक्षित रिपोर्ट पर सम्यक विचारोपरान्त चर्चा के पश्चात् सदन ने वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 लेखा परीक्षित खातों (Audited Books of Accounts) को ध्वनिमत से पारित करते हुए अंगीकृत किया।

Rakesh Kumar Tiwari



Affiliated to BCCI

bca@biharcricketassociation.com

एजेंडा संख्या : E

निर्णय : कोषाध्यक्ष महोदय ने आडिटर के नियुक्ति को विमर्श के लिए सदन के पटल पर रखा गया, जिसे चर्चा के बाद सदन ने पूर्व से कार्यरत आडिटर के कार्य पर सन्तुष्टी जताते हुए वर्ष 2022-2023 के लिए उनकी नियुक्ति को ध्वनिमत से पारित किया। सदन ने यह भी निर्णय लिया कि चूकी यह कार्य कोषाध्यक्ष महोदय के विषय-वस्तु है इसलिए कोषाध्यक्ष महोदय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के हित में आडिटर के सम्बन्ध में किसी भी तरह का निर्णय ले सकते हैं, जिसे भी सदन ने ध्वनिमत से पारित किया।

एजेंडा संख्या : F

निर्णय : नैतिक अधिकारी के रूप में श्री राघवेंद्र प्रसाद सिंह (अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) की नियुक्ति एक साल के लिए की जाती है, एवं जब तक पूर्णकालिक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक प्रभारी लोकपाल के रूप में जस्टिस श्री राघवेंद्र प्रसाद सिंह (अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) से सहमति लेकर कार्य सम्पादन की स्वीकृति प्रदान की। श्री आशुतोष नंदन सिंह (कोषाध्यक्ष) ने सदन को बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त COA के एडवाइजरी रिपोर्ट में यह प्रावधान है कि यदि एक ही व्यक्ति जो लोकपाल एवं नैतिक अधिकारी दोनों के पात्रता को पूरा करते हैं तो भी नियुक्त किया जा सकता है। इस के द्वारा BCA का पैसा की भी बचत होगी। चर्चा के पश्चात् बहुमत से सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष को श्री राघवेंद्र प्रसाद सिंह (अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) से बात कर, जब तक नए लोकपाल की बहाली नहीं होती है, तब तक नैतिक अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री राघवेंद्र प्रसाद सिंह (अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को रूपए 2,50,000/- प्रतिमाह पर नैतिक अधिकारी सह प्रभारी लोकपाल के रूप में कार्य करने की सहमति प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया। सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को पारित करते हुए लोकपाल की नियुक्ति हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया।

एजेंडा संख्या : G

निर्णय : नियम 28 एवं 29 में उल्लिखित The Standing Committees और The Cricket Committees के नियुक्ति का विषय पटल पर चर्चा के लिए लाया गया। संयुक्त सचिव शंकर देव चौधरी ने सदन को बताया बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नियमवाली के अनुसार हर तीन साल पर चुनाव होना है, इस कमिटी का कार्यकाल समाप्त पर है एवं बहुत ही जल्दी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। अतः सिर्फ उन कमिटी का गठन किया जाये जिससे क्रिकेट का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। इस पर सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी। श्री दिलीप सिंह के अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय कमिटी का रिपोर्ट सदन के समक्ष रखा गया। जिससे विभिन्न आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष सेलेक्टर्स की नियुक्ति करने तथा अन्य सपोर्ट स्टाफ के नियुक्ति के मामले में विचलन की अनुशंसा की गई है। लम्बी चर्चा के बाद सदन ने श्री दिलीप सिंह की अध्यक्षता वाली त्रि-सदस्यीय कमिटी के प्रस्तुत रिपोर्ट में अनुशंसित बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरांत सदन ने ध्वनि मत से उपलब्ध सपोर्ट स्टाफ के विहित अहर्ता के आधार पर विचलन और उचित नामांकन की अनुमति प्रदान की। सेलेक्टर्स के नामों की सूची निम्न है:

The Men's Selection Committee

1. Anant Prakash – Chairman
2. Shidharth Raj Sinha – Member
3. Vishnu Shankar – Member

The Junior Cricket Committee

1. Vikash Kumar – Chairman
2. Kundan Kumar – Member
3. Prabhat Kumar – Member

Rakesh Kumar Singh



Affiliated to BCCI

bca@biharcrickeassociation.com

The Women Selection Committee

1. Lovely Raj – Chairman
2. Anand Pratap – Member
3. Sanjana Roy - Member

उपरोक्त वर्णित क्रिकेट समितियों की नियुक्ति को संपुष्ट करते हुए अन्य कमेटी-सब कमेटी/ समितियों, उप समितियों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने तथा वर्तमान सदस्यों में बदलाव एवं इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार नई समितियों के गठन एवं पुराने के पुनर्गठन (सीजन 2022-2023) तथा क्रिकेट संचालन के लिए माननीय अध्यक्ष को या अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत पदाधिकारी / अधिकारी को अधिकृत करने का निर्णय लिया। जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया।

एजेंडा संख्या: H -1

निर्णय : 25 सितंबर 2020 के बाद हुए कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में लिए गए सभी निर्णयों और सीईओ के द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुए, चर्चा उपरांत सदन में उपस्थित सदस्यों ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में लिए गए सभी निर्णयों और सीईओ के द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट एवं सीईओ के क्रिया-कलापों को उत्कृष्ट बताते हुए कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में लिए गए सभी निर्णयों और सीईओ के द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट एवं निर्णय को ध्वनिमत से पारित किया।

एजेंडा संख्या : H-2

निर्णय : इस प्रस्ताव को अगले आम सभा तक के लिए स्थगित की जाती है।

एजेंडा संख्या : H-3

निर्णय : इस प्रकार कोई भी प्रस्ताव सदन प्राप्त नहीं है।

एजेंडा संख्या : H-4

निर्णय : नैतिक अधिकारी सह लोकपाल के द्वारा लिए गए निर्णयों को सदन के पटल पर रखा गया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित किया।

एजेंडा संख्या : I

निर्णय : इस एजेंडा से संबन्धित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

एजेंडा संख्या : J

निर्णय : सदन ने ध्वनिमत से बीसीसीआई के आम सभाओं तथा विशेष आम सभा में भाग लेने के लिए बीसीए के माननीय अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी को अधिकृत किया।

एजेंडा संख्या : K-1

अध्यक्ष महोदय के अनुमति से कोषाध्यक्ष महोदय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सभी खाली पदों पर नियुक्ति के लिए सदन से आग्रह किया। इस विंदु पर सदन में चर्चा के बाद निर्णय किया गया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान की धारा 26/2 के तहत सीईओ के मातहत कुल छह पेशेवर एवं अन्य को सीईओ की राय से नियुक्त किया जाना है, अतः बिहार क्रिकेट एसोसिएशन वेबसाइट पर रिक्त एवं जरूरत के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी किया जाय तथा वेबसाइट पर प्रसारित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों और अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों

Rakesh Kumar Tiwari



Affiliated to BCCI

bca@biharcricetassociation.com

को भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाय। चूंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में नियुक्त कर्मचारियों को सीईओ के मातहत काम करना है एवं सीईओ जिनका एक लंबा प्रोफेशनल कैरियर का अनुभव है, एवं इनका योगदान बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में उत्कृष्ट है, अतः सीईओ जरूरत पड़ने पर साक्षात्कार आयोजित कर नियुक्ति हेतु वेतन, भत्तों आदि पर बातचीत कर प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अधिकृत किए जाते हैं। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय हो नयी नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति या जो कर्मचारी निलंबन के बाद ऑफिस को ज्वाइन करेगा का हर तीन माह पर रिव्यू करने एवं उनपर समुचित निर्णय का अधिकार सदन ने प्रदान किया। इस निर्णय को सदन में ध्वनिमत के पारित किया गया। सीईओ ने सदन के इस निर्णय पर सदन को बताया कि बहुत ही जल्द बिहार क्रिकेट संघ के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है अतः इस कार्य में विलम्ब होने की सम्भावना है। जिस पर सदन ने सीईओ से नियुक्ति के प्रक्रिया को जल्द करने का आग्रह किया।

एजेंडा संख्या : K-1

(A)

अध्यक्ष महोदय के अनुमति से कोषाध्यक्ष महोदय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन संविधान की धारा 2(b) एवं 4 (a) को पढ़ कर सदन को सुनाया जिसमें वर्णित है कि

2(b) "The Vice President shall also exercise such function and duties as he may be empowered with by the General Body or Committee of Management"

4(a) "The Joint Secretary shall convene and keep minutes of the Committee that may be placed in his charge at Annual General Meeting or by the Secretary"

एवं सदन से आग्रह किया की बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों की सहभागिता बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संचालन एवं उत्थान में बनी रहे, इसलिए सदन, संविधान में वार्षिक आम सभा को दी गयी शक्तियों के आलोक में उचित निर्णय दे। सदन में उपस्थित सदस्यों ने मेज थप-थपा कर कोषाध्यक्ष महोदय के इस विचार का स्वागत किया एवं ध्वनिमत से निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव पर आगामी बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

(B) सदन इस बात पर भी सहमत हुई कि यदि कोई एजेंडा छूट जाता है तो आगे होने वाली सभा में अध्यक्ष के अनुमति से चर्चा के लिए ला कर, उसपर निर्णय लिया जायेगा।

एजेंडा संख्या : K-2

अध्यक्ष महोदय के आदेश से सीईओ ने सदन को बताया कि तात्कालिक व्यवस्था के तहत माननीय नैतिक अधिकारी सह लोकपाल महोदय के समक्ष बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पक्ष रखा जा रहा है, लेकिन मामलो कि अधिकता के कारण कार्य का सम्पादन सही से ससमय नहीं हो पा रहा है। सीईओ ने सदन को बताया कि कम से कम तीन नए अधिवक्ताओं की सेवा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में नैतिक अधिकारी सह लोकपाल महोदय के न्यायालय हेतु आवश्यकता है। पूर्व के अनुभवों के आधार पर अधिवक्ता बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए काम करने पर असहमति दे रहे हैं, अतः सदन से इस मामले पर उचित निर्णय की अपेक्षा है। सदन ने सीईओ के वक्तव्य पर सहमति जताई। इस पर सुपौल जिला संघ के प्रतिनिधि राघवेंद्र झा ने सदन को बताया की माननीय अध्यक्ष इस कार्य को करवाने के लिए सक्षम हैं एवं माननीय अध्यक्ष से आग्रह है कि वे दो योग्य पेशेवर अधिवक्ता की नियुक्ति एवं प्रोफेशनल फीस को तय करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए सीईओ को अनुशंसित करने की कृपा करें। सदन ने ध्वनिमत से माननीय अध्यक्ष को इस विदु पर अधिकृत करते हुए इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया। माननीय अध्यक्ष ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को उनके बहुमूल्य सुझाव एवं निर्णय का सम्मान करते हुए धन्यवाद दिया।

माननीय अध्यक्ष ने आगामी चुनाव हेतु चुनाव अधिकारी से आग्रह किया कि वे चुनाव की प्रक्रिया आरंभ करें एवं चुनाव से संबन्धित सभी जानकारी से सदन को अवगत कराये। **चुनाव अधिकारी Dr. M. Modassir (Retd.)**

Rabiah Khan Puri



Affiliated to BCCI

bca@biharcricquetassociation.com

IAS), Ex-State Election Commissioner ने अपने टीम के साथ मंचासीन होकर अपने टीम के सदस्यों से सदन को परिचय कराया, जिसमें चुनाव संचालन में लंबा अनुभव रखने वाले **श्री नारायण एस नवाती** (सेवानिवृत्त पूर्व अतिरिक्त मुख्य चुनाव पदाधिकारी, एलेक्सन कमीशन ऑफ इंडिया), **श्री बैजू नाथ कुमार सिंह** (सेवानिवृत्त उप मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार फॉर एलेक्सन कमीशन ऑफ इंडिया एवं National Level Master Trainer of Election Commission of India), श्री राजेंद्र कुमार कर्मशील, (सेवानिवृत्त उप मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार फॉर एलेक्सन कमीशन ऑफ इंडिया एवं National Level Master Trainer of Election Commission of India) है। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम की विधिवत घोषणा की।

माननीय चुनाव अधिकारी के संबोधन के बाद सभापति महोदय ने उपस्थित सभी लोगो का धन्यवाद ज्ञापन किया एवं सभा के समाप्ति की घोषणा की

राकेश कुमार तिवारी

अध्यक्ष

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन